कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

क्रमांक / एफ–3 / 16 / 2018 / 10–11 / 830 भोपाल, दिनांक 06/02/2024

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे0 वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत् । (FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-16/2023-FC दिनांक 27.11.2023

––0––

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गई (v) बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :–

S.No	Conditions	Compliance
i	In order to have actual assessment of the no. of trees involved in the project, the species wise and girth class wise complete enumeration of the trees falling in proposed diversion area shall be submitted.	प्रस्ताव में विभिन्न वनमण्डलों में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में वृक्षों की गणना का कार्य प्रचलित है, यह कार्य पूर्ण होने में लगभग 1 से 2 माह का समय लगेगा। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कि गाईडलाइन दिनांक 29.12.2023 (छायाप्रति परिशिष्ट–1 में संलग्न है) के बिन्दु क्र. 1.4 (vi) में यह प्रावधानित किया है कि 10 हेक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट या कार्य आयोजना के अनुसार की जा सकती है। प्रस्ताव में पूर्व में विभिन्न वनमण्डलों द्वारा सेम्पल प्लाट डालकर वृक्षों की गणना की गई है। अतः इसे मान्य करने का अनुरोध है। प्रकरण में प्रभावित वृक्षों की वास्तविक संख्या औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दी जायेगी।
ii	Keeping in view the fact that the area proposed for diversion and submergence is quite large and is located in a landscape which is part of an active wildlife corridor i.e., Satpura-Melghat Tiger corridor, the execution of the project may lead to habitat fragmentation and cause obstruction in the corridor. Therefore, a study of the possible impacts of the project on the Biodiversity and Wildlife by Wildlife Institute of India which shall be submitted along with the specific recommendation from the CWLW and State Govt.	इस संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि प्रभावित वनक्षेत्र में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु संक्षम संस्थाओं को लेख किया गया है। विभिन्न संस्थाओं को लेख किये गये पत्र की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.01.2023 के अनुसार वन्यप्राणी प्रबंधन योजना सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत की जा सकती है। दिनांक 29.11.2023 को भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन में भी इसका प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आवेदक संस्था परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु सहमत है।

–2–

<table>
<tr><td>iii</td><td>The State shall submit the recommendations/comments of National Tiger Conservation Authority (NTCA) on the instant proposal.</td><td>प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार किये जाने का कार्यवाही की जा रही है। यह प्रबंध योजना औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दी जायेगी। साथ ही प्रभावित वनक्षेत्र की वन्यप्राणी स्वीकृति हेतु आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण ऑनलाईन किया गया है, जिसका प्रकरण क्रमांक WL/MP/IRRIG/452403/2023 है।</td></tr>
<tr><td>iv</td><td>Keeping in view the fact that the area is within Satpura-Melghat Tiger Corridor, the State shall take necessary action as per rules to seek the requisite recommendations of NBWL/SBWL.</td><td>इस संबंध में आवेदक संस्था ने लेख किया है कि NBWL/SBWL की स्वीकृति औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत की जावेगी।</td></tr>
<tr><td>v</td><td>The complete CA scheme, along with relevant documents, revenue record, maps and KML files for the total non-forest land proposed for Compensatory Afforestation shall be submitted. The State shall ensure that the proposed area is free from all encumbrances.</td><td>भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन दिनांक 29.12.2023 के बिन्दु क्रमांक—11 (10) के अनुसार 1000 हेक्टेयर के प्रस्तावों में चरणों में भारत सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। (छायाप्रति परिशिष्टि—3 में संलग्न है।)

परियोजना को चरणबद्व तरीके से बनाया जाना प्रस्तावित है। अभी आवेदक संस्थान को 116.27 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है इसलिए प्रथम चरण हेतु 116.27 हे0 वनभूमि के विरूद्व 170.00 गैर वनभूमि की वृक्षारोपण योजना तैयार की जाकर पूर्व में ही आपको प्रेषित की गई है।

परियोजना का चरणबद्व विवरण निम्नानुसार है :—
<table>
<tr><th>S No.</th><th>Phase</th><th>Component</th><th>Proposed area in Ha.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>First</td><td>Dam Seat and Sluice, Pipeline PH/DC, Spillway channel with Fish Ladder, Approach & Diversion Road, Transmission Line</td><td>116.27</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Second</td><td>(FRL-4)</td><td>1135.57</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Third</td><td>(FRL-4)</td><td>616.748</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fourth</td><td>(FRL)</td><td>381.462</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Total</td><td>2250.05</td></tr>
</table>
भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2023 को जारी गाइड लाइन के अध्याय 9 में बिन्दु क्रमांक 9.1 में यह प्रावधानित किया गया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना केवल विभिन्न चरणों में चाही गई वनभूमि के अनुसार ही प्राप्त की जाये।</td></tr>
</table>

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

—3—

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-iii).docx

भोपाल, दिनांक 06/02/2024

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 16 / 2018 / 10–11 / 831

प्रतिलिपिः—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), वन भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त होशंगाबाद / वृत्त खण्डवा / वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, हरदा / होशंगाबाद / खण्डवा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल / जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यु. सिवनी मालावा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

06.02.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-iii).docx

Annexure - 1

सत्यमेव जयते

CONSOLIDATED GUIDELINES AND CLARIFICATIONS

issued under

VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM, 1980

and

VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) RULES, 2023

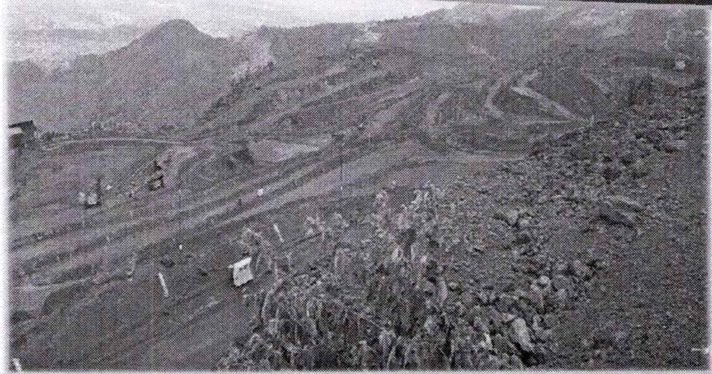

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bag Road,
New Delhi - 110003.

Dated: 29th December, 2023

ORDER

In exercise of the powers conferred under section 3 C of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, the Central Government, in suppression to all previous guidelines, hereby issue a Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, including the guidelines issued under sub-section (3) of section 1A, clause (iii) of sub-section (1) of section 2 and sub-section (2) of section 2 of the Adhiniyam for effective and transparent implementation of the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. All the provisions enshrined in these guidelines will be applicable from 1st December, 2023.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

29.12.23

(Ramesh Kumar Pandey)
Inspector General of Forest

Distribution to:

1. All concerned
2. Director (Technical), NIC with a request to upload the same on the website of the Ministry

(ii) Proposals will be submitted and processed through PARIVESH portal only. No physical copy of proposal shall be insisted by any authority in the State or in the Central Government. Only exceptional cases, related to defence, public interest or emergent nature, may be allowed by the Central Government to be submitted offline

(iii) Rectifications of the entries made in the online proposals which are beyond the domain of user agency and processing authorities in the State/UT and Regional Offices may be allowed by the Central Government through NIC with the approval of Inspector General of Forests on case to case basis.

(iv) In view the dynamic changes in the various guidelines based on policy decision of the Central Government or direction of Courts/Tribunals, the Central Government may modify the online modules for submission, processing and approval of the proposals to align the online modules with the provisions of guidelines and policy decisions.

(v) The user agency shall submit an undertaking along with the proposal submitted online to abide by all the provisions of the Adhiniyam, Rules and guidelines issued thereunder by the Central Government from time to time, applicable to their project.

(vi) Species-wise and diameter class-wise abstract of trees to be felled should be furnished in the prescribed form. Total enumeration is necessary only up to 10 hectares. For larger areas, species-wise and diameter class-wise abstract of trees may be computed either from the working plans or by standard sampling methods.

(vii) Proposal seeking prior approval of the Central Government under the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 should invariably be accompanied with cost benefit analysis in accordance with the provisions of guidelines enclosed at **Annexure-I**.

(viii) Inclusion of activities in Annual Plan Operation (APO) of CAMPA of those proposals where 'final approval' has not been accorded under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 shall not be considered. The State Governments/Union Territory Administrations shall ensure that after obtaining 'in-principle' approval of the Central Government under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, efforts should be made to ensure compliance of 'in-principle' approval and to obtain 'Final' approval as soon as possible to avoid *fait accompli* situation and also to ensure timely implementation of provisions of APOs containing the mitigating measures in lieu of non-forestry use of forest land allowed by the Central Government.

(ix) Completeness of the proposal, submitted by the State Government and Union territory Administration, shall be assessed, as per the checklist annexed at **Annexure-V** before its submission to the Regional Empowered Committee and Advisory Committee.

Annexure - 2

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेल:- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र......69...... सिवनी मालवा, दिनांक..19/01/24

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
वन भवन, सी ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं. 2, तुलसी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु संयुक्त स्थल निरिक्षण की कार्यवाही बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. 1. आपका पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ.-1/GEN.-520/11059, दिनांक 29.12.2023
3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

--------00---------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन करने हेतु निर्देशित किया गया है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु .भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश, वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट मुंबई, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड एवं . वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर,.वाशिंगटन, डीसी को लेख किया है।

संयुक्त स्थल निरिक्षण की कार्यवाही सम्पादित होना प्रस्तावित है, अतः समस्त सक्षम अधिकारियो से स्थल निरिक्षण की दिनांक एवं स्थल सम्बंधित कार्यक्रम सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)

पत्र क्र.......70....... सिवनी मालवा, दिनांक............

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत नर्मदापुरम,/ वृत बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल होशंगाबाद / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेल:- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र.......73.............................. सिवनी मालवा, दिनांक....19/01/24

प्रति,

वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट,
मुंबई, महाराष्ट्र

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. 1. अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024

2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. -1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है । मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है । गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)

पत्र क्र......74............ सिवनी मालवा, दिनांक............

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेलः- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र......71...... सिवनी मालवा, दिनांक..19/01/24

प्रति,

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
भोपाल, मध्य प्रदेश,

विषयः- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. 1. अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. - 1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023
3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है। मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है। गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)

पत्र क्र.....72...........

सिवनी मालवा, दिनांक............

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेल:- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र.........67......... सिवनी मालवा, दिनांक...19/01/24

प्रति,

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर,
1250 24वीं स्ट्रीट, एन.डब्ल्यू.वाशिंगटन,
डीसी 20037

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. **1.** अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024

2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. -1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है । भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है । मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है । गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)

पत्र क्र..........68.......

सिवनी मालवा, दिनांक............

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)
फोन नं.:- +917570299010 ई-मेलः- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र. 65 सिवनी मालवा, दिनांक 19/01/24

प्रति,

भारतीय वन्यजीव संस्थान,
देहरादून, उत्तराखंड

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. 1. अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. -1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023
3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षकं का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है । मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है । गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)

पत्र क्र..........66.........

सिवनी मालवा, दिनांक............

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

Rights) Act, 2006 (2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be.

(8) The final order of dereservation under clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, wherever accorded, shall be published in the official Gazette by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, informing dereservation of the forest land;

(9) The whole process of obtaining approval shall be carried out in the online portal developed for this purpose.

(10) Where compliance of condition imposed in the 'In-principle' approval is awaited from the State Government or Union territory Administration, as the case may be, for more than two years, the 'In-Principle' approval shall be deemed to be null and void:

Provided the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, in respect of proposals involving forest land of more than thousand hectares, where 'In-Principle' approval has been obtained, may consider grant of phase-wise 'Final' approval by the competent authority subject to compliance in respect of-

(a) payment of compensatory levies and notification of land identified and accepted for raising Compensatory Afforestation, proportional to the part area for which compliance is submitted; and

(b) any other specific condition that the Central Government may deem fit to have been complied with.

(11) After issue of final approval under sub- rule (7) and Gazette notification under sub-rule (8) the forest land concerned may be handed over or assigned, as the case may be, to the user agency by the State Government or Union territory Administration.

(12) The Regional Office shall monitor the compliance of all conditions imposed at the time of granting 'In-Principle' approval and the State Government or Union territory Administration and the user agency shall also monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed during 'In-Principle' approval and upload the monitoring report in the online portal.

(13) The entire process for processing the proposals by the various authorities in the State shall be completed within the time limit specified in **Schedule-I** appended to these rules.

12. Proposal seeking prior approval of Central Government for working plan.-

(1) The Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration shall submit the draft Working Plan of a Forest Division, duly prepared in accordance with the provisions of the National Working Plan Code, along with the recommendation of the State Consultative Committee, in the online portal for prior approval of the Central Government.

(2) The draft Working Plan shall include, *inter alia*, details of forest land diverted, corresponding Compensatory Afforestation lands and status of afforestation thereon.

(3) the draft Working Plan submitted to the Central Government shall be examined by the Regional Office concerned for its conformity with National Working Plan Code, the National Forest Policy and with preamble of Adiniyam for conservation and augmentation of forests and the Regional Office may accord prior approval to the draft Working Plan along with conditions or without conditions or accord approval along with modification